राजस्थान उच्च न्यायालय, जोधपुर

एस.बी. सिविल रिट याचिका संख्या 14071/2017

गौरी शंकर पुत्र श्री सत्य नारायण पुरोहित, निवासी लोहिया का चौक, गुंगसा की गली, नागौर।

----अपीलार्थी

बनाम

1. राजस्थान राज्य सचिव, चिकित्सा एवं स्वास्थ्य विभाग राजस्थान सरकार, जयपुर के माध्यम से।
2. निदेशक चिकित्सा एवं स्वास्थ्य विभाग, निदेशालय जयपुर।
3. मुख्य चिकित्सा एवं स्वास्थ्य अधिकारी, नागौर।
4. निदेशक, पेंशन एवं पेंशनर्स कल्याण विभाग, जयपुर।
5. सहायक निदेशक, पेंशन एवं पेंशनर्स विभाग, क्षेत्रीय कार्यालय, अजमेर।

----प्रतिवादीगण

<u>के साथ</u>

एस.बी. सिविल रिट याचिका संख्या 9334/2014

ताराचंद सोनी

----अपीलार्थी

बनाम

राज्य और अन्य

----प्रतिवादीगण

एस.बी. सिविल रिट याचिका संख्या 9335/2014

त्रिलोकचंद

----अपीलार्थी

बनाम

राज्य और अन्य

----प्रतिवादीगण

एस.बी. सिविल रिट याचिका संख्या 7098/2015

प्रकाश मल गहलोत

----अपीलार्थी

बनाम

राज्य और अन्य

----प्रतिवादीगण

अपीलार्थी(गण) के लिए : श्री प्रमेन्द्र बोहरा

प्रतिवादी(गण) के लिए : श्री हेमंत दत्त

माननीय श्री न्यायमूर्ति अरुण मोंगा

<u>निर्णय (मौखिक)</u>

<u>24/05/2024</u>

1. चूंकि इस याचिका समूह में तथ्य और कानून के सामान्य प्रश्न शामिल हैं, इसलिए उन्हें एक समान आदेश द्वारा तय किया जा रहा है। सुविधा के लिए, तथ्यों को सीडब्ल्यूपी संख्या 14071/2017 से लिया जा रहा है।

2. याचिकाकर्ताओं की शिकायत क्रमशः 01.03.2016 (अनुलग्नक 6), 09.10.2017 (अनुलग्नक 10), 25.11.2024 (अनुलग्नक 18), 08.06.2015 (अनुलग्नक 9), 16.06.2015 (अनुलग्नक 10) और 25.11.2014 (अनुलग्नक 25) के आदेशों से उत्पन्न हुई है, जिसके द्वारा याचिकाकर्ताओं के खिलाफ वसूली का आदेश दिया गया था।

3. संक्षेप में, सी.डब्लू.पी. संख्या 14071/2017 में प्रस्तुत प्रासंगिक तथ्य यह है कि याचिकाकर्ता को प्रारंभ में 21.05.1989 को वार्ड बॉय (चतुर्थ श्रेणी कर्मचारी) के रूप में नियुक्त किया गया था और 12 वर्ष की सेवा के बाद उसे प्रथम चयन ग्रेड प्रदान किया गया था।

3.1 याचिकाकर्ता को 950-1680/- रुपए के वेतनमान में एलडीसी के पद पर पदोन्नत किया गया था। पदोन्नति के बाद याचिकाकर्ता की सेवाएं राजस्थान अधीनस्थ कार्यालय मंत्रालयिक कर्मचारी नियम, 1997 द्वारा शासित थीं।

3.2 दिनांक 03.12.1996 के आदेश के अनुसरण में याचिकाकर्ता ने एलडीसी के रूप में कार्यभार ग्रहण किया तथा दिनांक 25.01.1992 की अधिसूचना के अनुसरण में याचिकाकर्ता को एलडीसी के पद पर 9 वर्ष की सेवा पूर्ण करने पर दिनांक 31.10.2006 के आदेश के अनुसार प्रथम चयन ग्रेड का लाभ प्रदान किया गया।

3.3 सेवानिवृत्ति की आयु प्राप्त करने पर याचिकाकर्ता 31.07.2015 को सेवानिवृत्त हो गया तथा प्रतिवादियों द्वारा सीपीओ, पीपीओ जारी किया गया।

3.4 याचिकाकर्ता का पेंशन प्रकरण पेंशन संशोधन हेतु पेंशन विभाग को भेजा गया था। किन्तु पेंशन विभाग ने दिनांक 19.09.2016 के आदेश द्वारा याचिकाकर्ता को तृतीय चयन ग्रेड का लाभ दिए जाने के संबंध में आपत्ति उठाई। पेंशन विभाग ने आदेश में स्पष्ट रूप से कहा कि याचिकाकर्ता तृतीय चयन ग्रेड के लिए पात्र नहीं है।

3.5 दिनांक 22.05.2017 के आदेश द्वारा प्रतिवादी विभाग ने 27 वर्ष की सेवा पूर्ण होने पर ग्रेड पे को 3,600/- रूपये के स्थान पर 3,200/- रूपये कर दिया।

3.6 दिनांक 29.05.2017 के आदेश के अनुसरण में प्रतिवादियों ने दिनांक 29.06.2017 को आदेश पारित किया तथा इस आदेश द्वारा प्रतिवादी विभाग ने याचिकाकर्ता का मामला 3,200/- रूपये के ग्रेड पे के अनुसार पेंशन संशोधन हेतु पेंशन विभाग को भेजा तथा अधिक भुगतान की वसूली का आदेश जारी किया।

3.7 दिनांक 09.10.2017 के आदेश द्वारा प्रतिवादी विभाग ने पेंशन विभाग द्वारा उठाई गई आपत्तियों के कारण दिनांक 01.03.2016 तथा 22.05.2017 के आदेशों को निरस्त कर दिया। अत: यह याचिका।

4. जवाब में बचाव पक्ष ने तर्क दिया कि 01.03.2016 के आदेश के तहत याचिकाकर्ता को 27 वर्ष की सेवा पूरी करने पर 10.09.2006 से 9,300-34,800 रुपये के वेतन बैंड में उसकी पहली नियुक्ति तिथि 21.05.1959 मानकर एसीपी प्रदान की गई थी। पेंशन विभाग की आपत्ति के आधार पर 09.10.2017 के आदेश के तहत उसे 01.09.2006 से 27 वर्ष की सेवा पूरी करने पर 5,200-20,200 रुपये के वेतन पर 2,800 रुपये के ग्रेड वेतन के साथ एसीपी प्रदान की गई थी।

4.1 यह मामला उनके वेतन निर्धारण और उसके कारण पेंशन आदि की अलग-अलग राशियों से संबंधित है। इस प्रकार, राहत खंड (i) के एक मात्र अवलोकन से यह पता चलता है कि याचिकाकर्ता ने अनिवार्य रूप से अपने वेतन निर्धारण और पेंशन आदि में परिणामी भिन्नताओं के संबंध में एक "सेवा मामला" उठाया है, जिसके लिए याचिकाकर्ता के पास अपील का एक वैकल्पिक उपाय उपलब्ध है। इसके बावजूद, याचिकाकर्ता ने इस याचिका को माननीय न्यायालय के समक्ष आगे बढ़ाया। इस प्रकार, याचिका को खारिज किया जाना चाहिए।

5. उपर्युक्त पृष्ठभूमि में, मैंने प्रतिद्वंद्वी तर्क सुने हैं और मामले की फाइल देखी है।

6. यहाँ जो कुछ घटित हुआ है, वह एक संक्षिप्त विवाद है कि क्या याचिकाकर्ता की ओर से किसी भी प्रकार का कोई गलत बयान या जानकारी छिपाई गई थी, जिसके कारण उसे उसके हक से अधिक वेतनमान का लाभ दिया गया था।

7. केवल दलीलों से ही, विशेष रूप से प्रतिवादियों की ओर से दायर जवाब में, यह साबित होता है कि याचिकाकर्ता पर किसी भी प्रकार का कोई गलत बयान या जानकारी छिपाने का आरोप नहीं लगाया गया है। कार्यालय में वरिष्ठों ने, प्रासंगिक समय पर, अपनी इच्छा से, याचिकाकर्ता को वेतनमान का लाभ दिया और बाद में, उन्होंने स्वयं महसूस किया कि यह गलत तरीके से दिया गया था।

8. जैसा भी हो, इस स्पष्ट स्वीकारोक्ति के मद्देनजर कि याचिकाकर्ता द्वारा किसी भी प्रकार का कोई प्रत्यक्ष या गुप्त कार्य नहीं किया गया है, दिनांक 01.03.2016 (अनुलग्नक 6) और 09.10.2017 (अनुलग्नक 10) के वसूली के आक्षेपित आदेश टिकने योग्य नहीं हैं।

9. पंजाब राज्य एवं अन्य बनाम रफीक मसीह (व्हाइट वॉशर) एवं अन्य (2015) 4 एससीसी 334 में दिए गए निर्णय का भी संदर्भ लिया जा सकता है, जिसमें निम्नलिखित पैरामीटर निर्धारित किए गए हैं; उक्त निर्णय के प्रासंगिक पैरा-18 में उन परिस्थितियों का उल्लेख किया गया है जिनके तहत वसूली की जा सकती है, नीचे पुनः प्रस्तुत किया गया है:-

> "18. उन सभी कठिनाई की स्थितियों का अनुमान लगाना संभव नहीं है जो वसूली के मुद्दे पर कर्मचारियों को नियंत्रित करेंगी, जहां नियोक्ता द्वारा गलती से उनके हक से अधिक भुगतान किया गया है। जैसा भी हो, ऊपर उल्लिखित निर्णयों के आधार पर, हम एक तैयार संदर्भ के रूप में, निम्नलिखित कुछ स्थितियों का सारांश दे सकते हैं, जिसमें नियोक्ताओं द्वारा वसूली कानून में अस्वीकार्य होगी:
>
> (i) वर्ग III और वर्ग IV सेवा (या समूह C और समूह D सेवा) से संबंधित कर्मचारियों से वसूली।

(ii) सेवानिवृत्त कर्मचारियों, या उन कर्मचारियों से वसूली जो वसूली के आदेश के एक वर्ष के भीतर सेवानिवृत्त होने वाले हैं।

(iii) कर्मचारियों से वसूली, जब वसूली का आदेश जारी होने से पहले पांच वर्ष से अधिक की अवधि के लिए अतिरिक्त भुगतान किया गया हो।

(iv) उन मामलों में वसूली, जहां किसी कर्मचारी को गलत तरीके से उच्च पद के कर्तव्यों का निर्वहन करने की आवश्यकता होती है, और उसे तदनुसार भुगतान किया जाता है, भले ही उसे सही मायने में निम्न पद पर काम करने की आवश्यकता होती।

(v) किसी अन्य मामले में, जहां अदालत इस निष्कर्ष पर पहुंचती है कि यदि कर्मचारी से वसूली की जाती है, तो वह इस हद तक अन्यायपूर्ण या कठोर या मनमानी होगी, जो नियोक्ता के वसूली के अधिकार के न्यायसंगत संतुलन से कहीं अधिक होगी।

10. उपरोक्त के साथ-साथ पिछले पैराग्राफ में की गई मेरी चर्चा के मद्देनजर, रिट याचिकाओं को आगामी परिणामों के साथ अनुमति दी जाती है। रिट याचिकाओं में पारित आक्षेपित आदेश, अर्थात् दिनांक 01.03.2016 (अनुलग्नक 6) और 09.10.2017 (अनुलग्नक 10), 25.11.2024 (अनुलग्नक 18), 08.06.2015 (अनुलग्नक 9) और 16.06.2015 (अनुलग्नक 10) और 25.11.2014 (अनुलग्नक 25), क्रमशः आगामी परिणामों के साथ रद्द किए जाते हैं।

11. याचिकाकर्ताओं से की गई वसूली, यदि कोई हो, लागू सेवा नियमों के अनुसार ब्याज सहित उन्हें वापस कर दी जाएगी।

12. लंबित आवेदन, यदि कोई हो, का भी निपटारा किया जाता है।

(अरुण मोंगा),जे

यह अनुवाद आर्टिफ़िश्यल इंटेलिजेंस टूल "सुवास" के जरिये अनुवादक की सहायता से किया गया है ।

अस्वीकरण - यह निर्णय पक्षकार को उसकी भाषा में समझाने के सीमित उपयोग के लिए स्थानीय भाषा मे अनुवादित किया गया है और किसी अन्य उद्देश्य के लिए इसका उपयोग नहीं किया जा सकता है। सभी आधिकारिक एवं व्यवहारिक उद्देश्यों के लिए उक्त निर्णय का अंग्रेजी संस्करण ही प्रामाणिक होगा एवं निष्पादन और क्रियान्वयन के उद्देश्य से भी अंग्रेजी संस्करण ही मान्य होगा।